छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील क्रमांक- 2243 /1999

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक :16.02.2021

निर्णय सुनाने का दिनांक :28.05.2021

यादोराम बनोटे, उम्र लगभग 38 वर्ष, पुत्र लतरिया बनोटे, पटवारी, हल्का नं.19, निवासी बिहारी कला, पुलिस स्टेशन अंबागढ़ चौकी, जिला रायपुर, म.प्र. (अब छत्तीसगढ़)

---- **अपीलकर्ता**

बनाम

म.प्र. राज्य के माध्यम से विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, भोपाल, इकाई रायपुर (अब छत्तीसगढ़)

--- **प्रतिवादी**

अपीलकर्ता की ओर से: श्री सुनील साहू और श्री अजय मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से: श्री एच.एस. अहलूवालिया, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल

सी.ए.वी. निर्णय

1. यह अपील विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 101/1991 में पारित दिनांक 02.08.1999 के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है तथा निम्नानुसार सजा सुनाई गई है:-

दोषसिद्धि	**दण्ड**
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (‘अधिनियम, 1947’) की धारा 5(1)(डी) सहपठित धारा 5(2) के तहत	1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/- रूपये का जुर्माना व्यतिक्रम की शर्त सहित
भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत	1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1000/- रूपये का जुर्माना व्यतिक्रम की शर्त सहित

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सुसंगत मामले में उस समय अपीलकर्ता पटवारी के पद पर पदस्थ था। शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2), सुरतीराम के नाम पर दर्ज कुछ जमीन के रिकॉर्ड की नकल चाहता था। सुरतीराम की मृत्यु के बाद, जमीन शिकायतकर्ता हमीर राव के पिता के बड़े भाई के नाम पर दर्ज हो गई थी। हमीर राव ने तहसीलदार के समक्ष उक्त रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने अपीलकर्ता को हमीर राव द्वारा मांगी गई नकल देने का निर्देश दिया। उस समय अपीलकर्ता हल्का

नंबर -19 में पटवारी के पद पर पदस्थ था। हमीर राव ने अपीलकर्ता से नकल देने का अनुरोध किया। कथित तौर पर, अपीलकर्ता ने वांछित नकल उपलब्ध कराने के लिए शिकायतकर्ता हमीर राव से 100 रुपये की राशि की मांग की और अपीलकर्ता ने हमीर राव से कहा कि वह 30.10.1986 को पैसे लेकर आए। हमीर राव अपीलकर्ता को रिश्वत नहीं देना चाहते थे इसलिए उन्होंने रायपुर जाकर पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त को लिखित शिकायत (प्र.पी.3) प्रस्तुत की। पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त ने मामले की जांच करने के लिए बी.डी. धनंजय (पी.डब्लू.12) निरीक्षक, लोकायुक्त को निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि 30.10.1986 को शिकायतकर्ता हमीर राव पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, रायपुर के बंगले पर गए, जहां निरीक्षक बी.डी. धनंजय (पी.डब्लू.12) भी मौजूद थे। सहायक अभियंता, सिंचाई एल.पी. तंबोली (पी.डब्लू.10) विभाग और एच.बी. सिंह, अधीक्षक भू-अभिलेख (जिनकी अभियोजन पक्ष द्वारा जांच नहीं की गई) को पंच गवाह के रूप में बुलाया गया। उन्होंने शिकायतकर्ता हमीर राव की शिकायत का सत्यापन किया। हमीर राव ने ट्रैप कार्यवाही के लिए 50-50 रुपये के 2 नोट पेश किए। उनके नंबर नोट किए गए और उन पर फिनोलफ्थेलिन पाउडर लगाया गया। अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर ट्रैप पार्टी बिहारीकला गांव गई। शिकायतकर्ता हमीर राव को अपीलकर्ता के घर जाने के लिए कहा गया। वह घर गया। उस समय अपीलकर्ता अपने घर के आंगन में बैठा था। कथित तौर पर अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता हमीर राव से रिश्वत के पैसे मांगे। हमीर राव ने उसे दागी पैसे दे दिए। इसके बाद हमीर राव अपीलकर्ता के घर से बाहर आया और ट्रैप पार्टी को इशारा किया। इशारा मिलते ही ट्रैप पार्टी के सदस्य मौके पर पहुंचे और अपीलकर्ता का हाथ पकड़ लिया। अपीलार्थी के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। अपीलार्थी की कमीज की जेब की तलाशी ली गई, लेकिन उसमें कोई करेंसी नोट नहीं मिला। अपीलार्थी की कमीज को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाया गया, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। पूछताछ करने पर अपीलार्थी ने बताया कि करेंसी नोट उसने दयालाल (पीडब्लू 4) को दिए थे। इसके बाद दयालाल (पीडब्लू 4) को मौके पर बुलाया गया। उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। उसने अपनी कमीज की जेब से दागदार नोट निकाले और ट्रैप पार्टी को सौंप दिए। उक्त दागदार करेंसी नोटों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। दयालाल (पीडब्लू- 4) की कमीज को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाने पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर मौके पर ही देहाती नालिशी दर्ज की गई। तत्पश्चात उक्त देहाती नालिशी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दर्ज की गई। जांच पूर्ण होने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने आरोप तय किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अपराध के संबंध में 12 गवाहों की परीक्षण किया। अपीलकर्ता का बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध से इनकार किया, निर्दोष होने और झूठे आरोप लगाने की दलील दी। अपीलकर्ता का बचाव यह था कि चूंकि तहसीलदार ने शिकायतकर्ता के आवेदन में यह समर्थन किया था कि वांछित प्रतिलिपि दर्ज भूमि-स्वामी से सहमति प्राप्त करने के बाद दी जाए, इसलिए अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता से कहा कि वह दर्ज भूमि-स्वामी से सहमति प्राप्त करने के बाद उसे प्रतिलिपि प्रदान करेगा और इसलिए उस समय उसने शिकायतकर्ता को वांछित प्रतिलिपि देने से इनकार कर दिया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता से कहा कि वह 100 रुपये की राशि लेकर आया था, लेकिन उसने फिर से उसे वांछित प्रतिलिपि देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने जबरदस्ती 100 रुपये अपनी शर्ट की जेब में डाल लिए। उसने अपनी जेब से वह पैसे निकाले और फेंक दिए। इसके बाद शिकायतकर्ता मौके से वापस लौट आया। उस समय दयालाल (पीडब्लू-4) वहां पहुंच गया। दयालाल (पीडब्लू -4) के पूछने पर अपीलकर्ता ने उसे पूरी कहानी सुनाई और उससे उक्त पैसे शिकायतकर्ता को वापस करने का अनुरोध किया। इस पर दयालाल (पीडब्लू -4) उक्त पैसे लेकर वहां से चला गया। अपीलकर्ता ने न तो शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की और न ही उसने स्वेच्छा से उसे रिश्वत के रूप में स्वीकार किया। अपने बचाव में अपीलकर्ता ने दो गवाहों, कृष्ण कुमार को डी.डब्लू. -1 और पलटन को डी.डब्लू.- 2 के रूप में परीक्षित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विचारण पूरा होने पर विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस फैसले के पहले पैराग्राफ में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई इसलिए, यह अपील।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध पर्याप्त एवं पुख्ता सबूत न होने पर भी उसे दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह दयालाल (पीडब्लू -4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा अपने बयान से पलट गया है। लेकिन, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। दयालाल (पीडब्लू -4) से दागी धनराशि जब्त की गई थी। दयालाल (पीडब्लू -4) के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा 100 रुपये की रिश्वत स्वीकार करना अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि पंच गवाहों में से एक, एच.बी. सिंह से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। अन्य पंच गवाह एल.पी. तंबोली (पीडब्लू -10) के बयान और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से यह स्थापित होता है कि कथित लेन-देन के समय पंच गवाह एल.पी. तंबोली (पीडब्लू -10) मौके पर

मौजूद नहीं था। इसलिए रिश्वत की मांग भी स्थापित नहीं होती। आगे यह तर्क दिया गया कि दयालाल (पीडब्लू -4) की मौके पर मौजूदगी और उससे दागी रकम की बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। इसलिए संपूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध है। इसलिए, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बनाए रखने योग्य नहीं है। **(2021) 3 एससीसी 687 (एन. विजयकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य), (2014) 13 एससीसी 55 (बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य) और (2015) 10 एससीसी 152 (पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य)** पर भरोसा जताया गया।

6. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए, प्रतिवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आरोपित निर्णय का समर्थन किया। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से रिश्वत के पैसे की मांग और स्वीकृति दोनों साबित होते हैं। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं कि अपीलकर्ता के कहने पर दयालाल (पीडब्लू -4) से रिश्वत का पैसा बरामद किया गया था। इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को सही रूप से दोषी ठहराया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मैंने पक्षों की ओर से दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों सहित उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का उचित ध्यान से अध्ययन किया है।

8. वर्तमान में एक लोकसेवक/अपीलकर्ता द्वारा पद का दुरुपयोग करके कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अवैध रूप से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का मामला है। लोक सेवक से संबंधित एक जघन्य अपराध उसकी सेवाओं की समाप्ति के लिए पर्याप्त है। अपराध के अवयवों के प्रमाण का स्तर/मानक उच्च है और अभियोजन पक्ष को संदेह या अस्पष्टता के लिए कोई जगह छोड़े बिना ठोस सबूत पेश करके अपराध को साबित करना आवश्यक है।

9. अवैध रूप से रिश्वत लेने के मामले में, अपराध का गठन करने के लिए तीन आवश्यक अवयव हैं। वे हैं (i) मांग, (ii) स्वीकृति और (iii) वसूली।

10. **बी. जयराज मामले (सुप्रा)** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से माना था:

> "**7.** जहां तक धारा 7 के तहत अपराध का संबंध है, यह कानून में एक स्थापित स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग उक्त अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य है और केवल मुद्रा नोटों की वसूली धारा 7 के तहत अपराध नहीं बन सकती है जब तक कि यह सभी उचित संदेह से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए हैं, यह

जानते हुए कि यह रिश्वत है। उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर सी.एम. शर्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 में लिए गए फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

8. वर्तमान मामले में, जहां तक आरोपी द्वारा की गई मांग का संबंध है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की, जब शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को कथित रूप से पैसा सौंपा गया था, ताकि यह साबित हो सके कि यह आरोपी द्वारा की गई किसी मांग के अनुरूप था। जब शिकायतकर्ता ने स्वयं एलडब्ल्यू-9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत (एक्सटेंशन पी-11) में जो कहा था, उससे इनकार कर दिया था और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि आरोपी ने कोई मांग की थी पी-11 पर इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त सामग्री आरोपी द्वारा कथित रूप से की गई मांग का सबूत पेश करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी आरोपी द्वारा कथित रूप से की गई मांग को साबित करने में सही नहीं माना। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री आरोपी के कब्जे से दागी मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में इस तरह के कब्जे को आरोपी ने खुद स्वीकार किया है। मांग के सबूत के बिना आरोपी से मुद्रा नोटों का केवल कब्जा और बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध को साबित नहीं करेगी। उपरोक्त भी धारा 13(1)(डी)(i) और (ii) के तहत अपराध के संबंध में निर्णायक होगा क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी भी सबूत की अनुपस्थिति में, किसी भी मूल्यवान चीज या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमेय अनुमान का सवाल है, ऐसा अनुमान केवल धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकता है, न कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) के तहत अपराधों के संबंध में। किसी भी मामले में, अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर ही अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण की स्वीकृति का सबूत तभी मिल सकता है जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान मामले में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के तहत कानूनी अनुमान लगाया जा सकता है, पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

11. इसके अलावा, **पी. सत्यनारायण मूर्ति मामले** (सुप्रा) में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना:

> "22. अधिनियम की धारा 7 और 13 की अनिवार्य पूर्वापेक्षाओं को समझने के लिए इस न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय में, बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में स्पष्ट शब्दों में रेखांकित किया गया है कि मांग के सबूत के बिना अभियुक्त से मुद्रा नोटों का कब्जा और बरामदगी मात्र अधिनियम की धारा 7 के साथ-साथ धारा 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) के तहत अपराध स्थापित नहीं करेगी। यह प्रतिपादित किया गया है कि अवैध परितोषण की मांग के किसी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग साबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मांग का प्रमाण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत अपराध के लिए एक अपरिहार्य अनिवार्यता और व्यापक अधिदेश माना गया है। अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, जो इसमें परिकल्पित रूप से अनुमान की अनुमति देता है, यह माना गया है कि हालांकि यह केवल धारा 7 के तहत अपराध के लिए विस्तारित है और अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) के तहत उन पर लागू नहीं होता है, यह किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए अवैध परितोषण की स्वीकृति के प्रमाण पर भी निर्भर है। अवैध परितोषण की स्वीकृति का ऐसा प्रमाण, इस बात पर जोर दिया गया था, केवल तभी हो सकता है जब मांग का सबूत हो। स्वयंसिद्ध रूप से, यह माना गया था कि मांग के सबूत की अनुपस्थिति में, अधिनियम की धारा 20 के तहत ऐसी कानूनी धारणा भी उत्पन्न नहीं होगी।
>
> 23. इस प्रकार, अवैध परितोषण की मांग का सबूत अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) के तहत अपराध का मुख्य आधार है और इसके अभाव में, स्पष्ट रूप से इसके लिए आरोप विफल हो जाएगा। अवैध परितोषण के रूप में कथित रूप से किसी भी राशि की स्वीकृति या उसकी वसूली, मांग के सबूत के बिना, इस प्रकार, अधिनियम की इन दो धाराओं तहत आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। परिणामस्वरूप, अवैध रिश्वत की मांग को साबित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता घातक होगी और अधिनियम की धारा 7 या 13 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति से राशि की वसूली मात्र से उसे इसके तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. हाल ही में, **एन. विजयकुमार मामले** (सुप्रा) में, **बी. जयराज मामले** (सुप्रा) के फैसले को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना:

> "26. यह भी समान रूप से स्थापित है कि केवल वसूली ही आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं कर सकती है। सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है। (2009) 3 एससीसी 779 और बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(डी) (i) और (ii) के तहत मामले पर विचार करते हुए इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में यह दोहराया गया है कि आरोप को साबित करने के लिए, यह उचित संदेह से परे साबित करना होगा कि आरोपी ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है। अवैध रिश्वत की मांग के सबूत का अभाव और केवल करेंसी नोटों का कब्ज़ा या बरामदगी ऐसे अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त निर्णयों में यह भी माना गया है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमान भी अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति के साबित होने के बाद ही लगाया जा सकता है। यह भी काफी हद तक स्थापित है कि आपराधिक न्यायशास्त्र में निर्दोषता की प्रारंभिक धारणा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी होने से दोगुनी हो जाती है।
>
> **27**. बी. जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 13 एससीसी 55 में फैसले के प्रासंगिक पैरा 7, 8 और 9 इस प्रकार हैं: (एससीसी पृष्ठ 58-59)
>
> "**7.** जहां तक धारा 7 के तहत अपराध का संबंध है, कानून में यह स्थापित स्थिति है कि अवैध परितोषण की मांग करना उक्त अपराध का गठन करने के लिए अनिवार्य है और केवल करेंसी नोटों की बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध नहीं बन सकती जब तक कि यह सभी उचित संदेह से परे साबित न हो जाए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए थे, यह जानते हुए कि यह रिश्वत है। उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय के कई निर्णयों में संक्षेप में निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर, सी.एम. शर्मा बनाम ए.पी. राज्य, (2010) 15 एससीसी 1 और सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 में लिए गए फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

8. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने जहां तक आरोपी की मांग का संबंध है, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने उस समय मौजूद किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की, जब शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी को कथित तौर पर पैसा सौंपा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, ताकि यह साबित हो सके कि यह आरोपी द्वारा की गई किसी मांग के अनुरूप था। जब शिकायतकर्ता ने खुद एलडब्ल्यू9 के समक्ष प्रारंभिक शिकायत (एक्सटेंशन पी-11) में जो कहा था, उससे इनकार किया था और यह साबित करने के लिए कोई अन्य सबूत नहीं है कि आरोपी ने कोई मांग की थी, पीडब्ल्यू-1 का साक्ष्य और एक्सटेंशन की सामग्री पी-11 पर भरोसा करके यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उपरोक्त सामग्री आरोपी द्वारा कथित रूप से की गई मांग का सबूत पेश करती है। इसलिए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी आरोपी द्वारा कथित रूप से की गई मांग को साबित करने में सही नहीं माना। उपलब्ध एकमात्र अन्य सामग्री आरोपी के कब्जे से दागी मुद्रा नोटों की बरामदगी है। वास्तव में, आरोपी ने खुद इस तरह के कब्जे को स्वीकार किया है। मांग के सबूत के बिना आरोपी से मुद्रा नोटों का केवल कब्जा और बरामदगी धारा 7 के तहत अपराध की पुष्टि नहीं करेगी। उपरोक्त भी धारा 13(1)(डी) (i) और (ii) के तहत अपराध के संबंध में निर्णायक होगा क्योंकि अवैध परितोषण की मांग के किसी भी सबूत के अभाव में, किसी भी मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग या लोक सेवक के रूप में पद का दुरुपयोग स्थापित नहीं किया जा सकता है।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के तहत अनुमेय उपधारणा का सवाल है, ऐसा अनुमान केवल धारा 7 के तहत अपराध के संबंध में हो सकता है, न कि अधिनियम की धारा 13(1)(डी)(आई) और (आईआई) के तहत अपराधों के संबंध में। किसी भी स्थिति में, अवैध परितोषण की स्वीकृति के सबूत पर ही अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा किया जा सकता है कि ऐसा परितोषण किसी आधिकारिक कार्य को करने या करने से मना करने के लिए प्राप्त किया गया था। अवैध परितोषण की स्वीकृति का सबूत तभी मिल सकता है जब मांग का सबूत हो। चूंकि वर्तमान मामले में इसका अभाव है, इसलिए प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के तहत विधितः उपधारणा किया जा सकता है, वे पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।"

इस न्यायालय द्वारा लिया गया उपर्युक्त दृष्टिकोण अपीलकर्ता के मामले का पूर्ण समर्थन करता है। अभियोजन पक्ष की ओर से जांचे गए प्रमुख गवाहों के बयानों में हमारे द्वारा देखे गए विरोधाभासों के मद्देनजर, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि और सेलफोन की मांग और स्वीकृति, उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है। रिकॉर्ड पर मौजूद ऐसे साक्ष्यों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया बरी होना एक "संभावित दृष्टिकोण" है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसे में उच्च न्यायालय का निर्णय [राज्य टी.एन. बनाम एन. विजयकुमार, 2020 एससीसी ऑनलाइन मैड 7098] रद्द किए जाने योग्य है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले, न्यायालयों को साक्ष्यों को स्कैन करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि दर्ज हो जाती है, तो यह समाज में व्यक्ति पर एक सामाजिक कलंक लगाता है, साथ ही प्रदान की गई सेवा पर गंभीर परिणाम भी डालता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित दृष्टिकोण है या नहीं, इस बारे में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले में यह अलग-अलग हो सकता है। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इसका मूल्यांकन इसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

13. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, मैं वर्तमान मामले के तथ्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। इस मामले में, यह विवाद का विषय नहीं है कि प्रासंगिक समय पर, अपीलकर्ता हल्का नंबर 19 के पटवारी के रूप में पदस्थ था। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि कुछ राजस्व दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त करने के लिए, शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2) ने तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन (एक्स.पी -2) प्रस्तुत किया। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि तहसीलदार ने उक्त आवेदन में एक पृष्ठांकन किया जिसमें अपीलकर्ता/पटवारी को दर्ज भूमि-स्वामी से सहमति प्राप्त करने के बाद वांछित प्रतिलिपि प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपने न्यायालयीन कथन में शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2) ने यह बयान दिया कि उसने अपीलकर्ता/पटवारी से कुछ राजस्व दस्तावेज की प्रति मांगी थी। इस पर अपीलकर्ता ने 100 रुपये की रिश्वत मांगी और 30.10.1986 को रिश्वत की रकम लेकर आने को कहा। इसके बाद यह गवाह 29.10.1986 को लोकायुक्त कार्यालय रायपुर गया और वहां लिखित शिकायत (एक्स.पी-3) पेश की। फिर 30.10.1986 को वह पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के घर गया और वहां उसने निरीक्षक बी.डी. धनंजय (पीडब्लू -12) को 50-50 रुपये के दो नोट दिए, जो वहां मौजूद थे। इस साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया कि उसके द्वारा प्रस्तुत दो करेंसी नोटों पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाने की कार्यवाही के बाद, उसे ट्रैप कार्यवाही का प्रदर्शन दिया गया और उसके बाद एक ट्रैप पार्टी ग्राम बिहारीकला की ओर बढ़ी, जहां अपीलकर्ता रहता था। इस साक्षी के अनुसार, अपीलकर्ता ग्राम सरपंच पल्टन (डीडब्लू -2) के घर में रहता था। प्रासंगिक समय, अपीलकर्ता घर के आंगन में बैठा था और वहां अकेला काम कर रहा था। इस साक्षी ने अपीलकर्ता से वांछित प्रतिलिपि की मांग की, लेकिन अपीलकर्ता ने उससे रिश्वत के पैसे की मांग की। इस पर, इस साक्षी ने दूषित धन, यानी 50 रुपये के दो

करेंसी नोट अपीलकर्ता को दे दिए, जिन्हें अपीलकर्ता ने अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने वांछित प्रतिलिपि तैयार करना शुरू कर दिया। फिर, यह साक्षी घर से बाहर आया और ट्रैप पार्टी को एक संकेत दिया। इस साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया कि जैसे ही वह घर से बाहर आया, दयालाल (PW-4) अपीलकर्ता के घर में घुस गया। ट्रैप पार्टी घर के अंदर गई और अपीलकर्ता से रिश्वत के पैसे के बारे में पूछताछ की, लेकिन अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि उसे कोई पैसा नहीं मिला। अपीलकर्ता के हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाए गए, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया कि अपीलकर्ता की शर्ट की जेब की तलाशी ली गई, लेकिन उसमें दागी पैसे नहीं मिले। इस पर अपीलकर्ता ने बताया कि उसने उक्त पैसे दयालाल (PW-4) को दे दिए थे। अपीलकर्ता की शर्ट भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाई गई, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। हेड कांस्टेबल मन्नूलाल (PW-7) ने दयालाल (PW-4) को बुलाया। पूछने पर दयालाल (पीडब्लू -4) ने ट्रैप पार्टी को बताया कि अपीलकर्ता ने उसे दागी पैसा दिया था, जिसे उसने अपने घर में रखा था। इसके बाद दयालाल (पीडब्लू -4) अपने घर गया और दागी पैसा लेकर ट्रैप पार्टी के सामने पेश किया। दागी पैसा जब्त कर लिया गया। इसके बाद दयालाल (पीडब्लू -4) की शर्ट को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जिस पर घोल का रंग गुलाबी हो गया। हमीर राव (पीडब्लू -2) ने अपनी जिरह के पैराग्राफ 24 में यह बयान दिया कि जिस जगह पर ट्रैप पार्टी के सदस्य खड़े थे, वहां से वे अपीलकर्ता के घर में इस गवाह की हरकत देख सकते थे। पैराग्राफ 28 में इस साक्षी ने आगे यह भी बयान दिया कि पहले ट्रैप पार्टी ने अपीलकर्ता की तलाशी ली और जब अपीलकर्ता के पास से दागी रकम नहीं मिली तो इस साक्षी ने ट्रैप पार्टी को बताया कि दयालाल (पीडब्लू -4) अपीलकर्ता के पास है और इसलिए दागी रकम दयालाल (पीडब्लू -4) के पास होगी। फिर दयालाल (पीडब्लू -4) को बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। इसके बाद दयालाल (पीडब्लू -4) दागी रकम लेकर ट्रैप पार्टी के सामने आया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. दयालाल (पीडब्लू -4) ने बयान दिया कि जब वह अपने घर के सामने बैठा था, उस समय हमीर राव (पीडब्लू -2) अपीलकर्ता के घर में घुस आया। कुछ समय बाद, हमीर राव (पीडब्लू -2) इस गवाह के पास आया और उससे कहा कि वह जल्दी में है और उसके बाद उसने उसे 100 रुपये की राशि देते हुए कहा कि उक्त धनराशि अपीलकर्ता को दे दी जाए। इस पर, यह गवाह अपीलकर्ता के पास गया और उसे बताया कि हमीर राव (पीडब्लू -2) ने उसे 100 रुपये की राशि देने के लिए दी थी, अपीलकर्ता को उक्त धनराशि देने की कोशिश की लेकिन अपीलकर्ता ने उक्त धनराशि लेने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। पैराग्राफ 9 में फिर से, इस गवाह ने गवाही दी कि

जब उसे फिर से बुलाया गया, उस समय हमीर राव (पीडब्लू -2) द्वारा उसे दी गई 100 रुपये की राशि उसकी शर्ट की जेब में रखी हुई थी और ट्रैप पार्टी द्वारा उसे उससे बरामद कर लिया गया था।

16. कांस्टेबल बी. लक्ष्मैया (पीडब्लू -5), सदस्यों में से एक ट्रैप पार्टी के पक्षकारों ने यह भी गवाही दी कि जब अपीलकर्ता से दागी धन बरामद नहीं हुआ और अपीलकर्ता द्वारा यह बताए जाने पर कि दागी धन, दयालाल (पीडब्लू -4) के पास रखा हुआ है, दयालाल (पीडब्लू -4) को बुलाया गया और उससे दागी धन बरामद किया गया। अपनी जिरह में इस गवाह ने गवाही दी है कि जिस स्थान पर वे खड़े थे, वहां से उन्हें अपीलकर्ता के घर का आंगन दिखाई दे रहा था और उसने हमीर राव (पीडब्लू -2) को अपीलकर्ता को धन देते हुए देखा था। अपनी जिरह के पैराग्राफ 8 में इस गवाह ने स्वीकार किया कि जब अपीलकर्ता से पूछताछ की गई तो उसने धन लेने से इनकार कर दिया।

17. पंच गवाहों में से एक, एल.पी. तंबोली (पीडब्लू -10) ने अपने मुख्य परीक्षण में, पैराग्राफ 5 में यह बयान दिया कि जब अपीलकर्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि दागी पैसा दयालाल (पीडब्लू -4) के पास रखा हुआ था, उस समय दयालाल (पीडब्लू -4) मौके पर मौजूद था। पैराग्राफ 19 में, इस गवाह ने फिर से स्वीकार किया कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, उस समय दयालाल (पीडब्लू -4) वहां बैठा हुआ था। अपने जिरह के पैराग्राफ 14 में, इस गवाह ने यह तथ्य स्वीकार किया कि जब उसे ट्रैप कार्यवाही के लिए लोकायुक्त के कार्यालय में बुलाया गया था, उस समय शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2) ने किसी को यह नहीं बताया था कि अपीलकर्ता ने उससे रिश्वत की मांग की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. निरीक्षक/जांच अधिकारी बी.डी. धनंजय (पी.डब्लू.-12) ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 5 में यह प्रमाणित किया कि जब वे जाल के समय अपीलकर्ता के घर के अन्दर गये तो दयालाल (पी.डब्लू.-4) भी वहां उपस्थित था तथा उसने अपनी जेब से दागी हुई धनराशि निकाली थी। अपने जिरह के पैरा 12 में इस साक्षी ने स्वीकार किया कि जाल के समय जिस स्थान पर वे खड़े थे, वहां से अपीलकर्ता के घर का अन्दरूनी भाग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था तथा न ही उन्हें उक्त घर के अन्दर शिकायतकर्ता तथा अपीलकर्ता के बीच कोई बातचीत सुनाई दे रही थी।

19. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य की सूक्ष्म जांच करने पर मेरे विचार से अभियोजन पक्ष का सम्पूर्ण मामला संदिग्ध है, क्योंकि दागी हुई धनराशि अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद नहीं हुई। दागी धन दयालाल (पीडब्लू -4) से बरामद किया गया। अपने न्यायालयीन बयान में, दयालाल (पीडब्लू -4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और अपने बयान से पलट गया।

दयालाल (पीडब्लू -4) के बयान के अनुसार, शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2) अपीलकर्ता के घर से बाहर आने के बाद उससे मिला और उसे उस समय 100 रुपये की राशि दी। हमीर राव (पीडब्लू -2) ने इस गवाह से उक्त धन अपीलकर्ता को देने के लिए कहा और चला गया। इसके बाद, यह गवाह अपीलकर्ता के पास गया और उसे उक्त धन देने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष द्वारा स्वयं किए गए इस गवाह के जिरह के पैराग्राफ 9 में, इस गवाह ने यह बयान दिया कि उसे ट्रैप पार्टी ने अपीलकर्ता के घर के बाहर से बुलाया था। शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2) ने यह भी कहा कि जब वह अपीलकर्ता के पास गया था, उस समय अपीलकर्ता अपने घर में मौजूद था और जब यह गवाह अपीलकर्ता के घर से बाहर आया, तो दयालाल (पीडब्लू -4) ने उससे बाहर मुलाकात की। इस गवाह ने आगे यह भी बयान दिया कि जब मन्नूलाल (पीडब्लू -7) ने दयालाल (पीडब्लू -4) को बुलाया, तब ट्रैप पार्टी ने दयालाल (पीडब्लू -4) से पूछताछ की और उसके बाद दयालाल (पीडब्लू -4) ने अपने घर से दागी हुई रकम लाकर ट्रैप पार्टी के सामने पेश की। मन्नूलाल (पीडब्लू -7) ने दयालाल (पीडब्लू -4) को उसके घर से बुलाने के बारे में कुछ नहीं कहा। ट्रैप पार्टी के एक अन्य गवाह बी. लक्ष्मैया (पीडब्लू -5) ने भी बयान दिया कि दयालाल (पीडब्लू -4) को बाद में बुलाया गया और उससे दागी हुई रकम बरामद की गई। शिकायतकर्ता हमीर राव (पीडब्लू -2) और बी. लक्ष्मैया (पीडब्लू -5) के बयानों के विपरीत, पंच गवाह एल.पी. तम्बोली (पीडब्लू -10) और जांच अधिकारी बी.डी. धनंजय (पीडब्लू -12) ने कहा है कि जब वे अपीलकर्ता के घर में दाखिल हुए, उस समय दयालाल (पीडब्लू -4) वहां बैठा था। उपरोक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य इन बिंदुओं पर पूरी तरह से विरोधाभासी है: (i) क्या दयालाल (पीडब्लू -4) ट्रैप के समय अपीलकर्ता के घर में पहले से मौजूद था या उसे बाद में उसके घर से बुलाया गया था और (ii) क्या ट्रैप के समय दागी पैसा पहले से ही दयालाल (पीडब्लू -4) की जेब में रखा हुआ था या वह अपने घर से दागी पैसा लेकर आया था और उसके बाद उससे उक्त पैसा बरामद किया गया। धनंजय (पीडब्लू-12) के कथन के अनुसार, जिस स्थान पर वे खड़े थे, वहां से उन्हें अपीलकर्ता के घर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और न ही उन्हें घर के अंदर शिकायतकर्ता और अपीलकर्ता के बीच हुई कोई बातचीत सुनाई दे रही थी। इस गवाह के उपरोक्त कथन के विपरीत, बी. लक्ष्मैया (पीडब्लू-5) ने गवाही दी कि उसने अपीलकर्ता को शिकायतकर्ता से पैसे लेते हुए देखा था। जैसा कि जांच अधिकारी बी.डी. धनंजय (पीडब्लू-12) ने कहा, जब अपीलकर्ता के घर के अंदर चल रही गतिविधियां उस स्थान से ट्रैप पार्टी को दिखाई नहीं दे रही थीं, जहां वे खड़े थे और कोई बातचीत नहीं हुई उक्त घर के अन्दर चल रही घटना की आवाज उन्हें वहां से सुनाई दे रही थी, ऐसी परिस्थितियों में बी. लक्ष्मैया (पीडब्लू -5) का यह कथन कि उसने अपीलकर्ता को घर के अन्दर शिकायतकर्ता से पैसे लेते हुए देखा था, विश्वसनीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं है। गवाहों के बयानों में उपरोक्त विरोधाभासों को देखते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा सुनाई गई पूरी कहानी संदिग्ध हो जाती है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से, मेरे विचार से, अपीलकर्ता द्वारा रिश्वत के पैसे की मांग और स्वीकार करना दोनों ही सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता पर लगाया गया दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

20. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। चुनौती दी गई विचारण न्यायालय के फैसले को खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

सही/-
(अरविंद सिंह चंदेल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**